

कार्यालय वृत्ताधिकारी, वृत्त बून्दी जिला बून्दी (राज.)

दिनांक - 01.02

क्रमांक- 35

सेवामें,  
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय  
जिला बून्दी।


विषय - जांच रिपोर्ट परिवार श्री ज्ञानेश कुमार निवासी बून्दी।  
प्रसंग - 181 परिवार क्रमांक 12203379047305/06.01.2 की पालना में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि परिवार श्री ज्ञानेश कुमार निवासी बून्दी का दिनांक 10/11/2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, न्यायिक अधिकारी करेंगे जांच" के सम्बन्ध में प्रासंगिक 181 पत्रांक से दिनांक 06.01.2021 को प्राप्त हुआ है।

परिवार के संबंध में निवेदन हैं कि कथित हरजी कंजर की मृत्यु की घटना के संबंध में दर्ज मर्ग नम्बर 36/20 धारा 176 जा.फौ. थाना सदर बून्दी में न्यायिक जांच श्रीमान एसीजेएम साहब बून्दी द्वारा की जा रही है। तथा इसी क्रम में प्रकरण संख्या 431/20 धारा 302.34 ताहि व 3 एससी एसटी एक्ट दर्ज है जिसका अनुसंधान सीआईडी सीबी जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अतः जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

  
(कुंदन कंवरिया IPS)

सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त बून्दी